न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 17 / 2002

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रहलादसिंह पुत्र रामाजी, जाति रावणा राजपूत,निवासी नारणावास,तहसील व जिला जालोर		1.महेन्द्रभारती चेला गंगाभारती, जागनाथ मंदिर नारणावास 2.ग्राम पंचायत नारणावास द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत नारणावास

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सरपंच, ग्राम पंचायत नारणावास दिनांक 20.8.2002
(पत्रावली सं.1 / 2002)

उपस्थिति :–
1.श्री श्रवणसिंह सिसोदिया,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 19.7.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान् मौजा नारणावास में अपीलांट के मालिकाना हक की कब्जासुदा खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 275 / 1 रकबा 44 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 23 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल आराजी 48 बीघा 19 बिस्वा स्थित थी। पुराने खसरा नम्बर 275 व 23 के नवीन सैटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 1282,1285,1286, व 1287 रकबा क्रमशः 0.11, 0.01, 0.15, 7.65 कुल रकबा 7.92 हेक्टर बना है। पुराने खसरा नम्बर 275 / 1 व 23 दोनो पास पास होने से दोनो का एक ही चक बन गया है। अपीलांट के पुराने खसरा नम्बर 275 / 1व पुराने खसरा नम्बर 276 के बीच में कोई रास्ता पहले अभिलेख में दर्ज नहीं था, इसके अलावा मौके पर भी कोई रास्ता न तो उस समय चलता था और न ही आज चलता है। पहले रास्ता खसरा नम्बर 276 के उतरी माठ पर चलता था जो पुराने नक्शा ट्रेस में दर्ज है उसके बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर 276 की माठ पर पुराना रास्ता चलने का तथ्य साबित होता है। वर्तमान सैटलमेन्ट में बिना मुझे सुने ,बिना नोटिस खसरा नम्बर 276 के दक्षिण दिशा की तरफ अपीलांट के पुराने खसरा नम्बर 275 / 1 में उतरी माठ पर अपीलांट के खेत में रास्ता नक्शें में बता दिया गया है वह बिल्कुल ही गलत बताया गया है। मौके पर कभी भी रास्ता नही था ,न ही आज भी मौके

19/7/19
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

पर रास्ता है। भू प्रबन्ध विभाग ने वादी की भूमि में रास्ता बता दिया जो गलत है जिसका दावा एस.डी.ओ.कोर्टजालोर में चल रहा है। पूर्व में कब्जा पर्चा दिया तब खसरा न म्बर 1287 का नवीन रकबा 7.65 हेक्टर बताया था मगर बाद में जब सैटलमेन्ट के अन्तिम रेकर्ड जमाबंदी की नकल लेने पर 0.07 हेक्टर भूमि खसरा नम्बर 1287 में से कम करके गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1324 में डाल दी जो अपीलांट की खातेदारी भूमि है। उक्त रास्ता दिनांक 26.11.93 के बाद बताया ग या है। अपीलाधीन प्रकरण में प्रार्थी (प्रत्यर्थी सं.1–श्री महेन्द्रभारती) काश्तकार नही है, इस प्रकार रास्ता पाने का तथा खुलवाने का हकदार नहीं है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् मामलें को तय करते समय ग्राम के मुखियान् की साक्ष्य को अभिलेख पर नहीं लिया गया है।ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.8.2002को विशेष बैठक बुलाई गई ।नोटिस दिनांक 5.8.2002 पर भी विशेष क्रमांक लगा हुआ साबित करता हैं कि सारी कार्यवाही फर्जी है। नोटिस पर तामील कुनन्दा की रिपोर्ट पर जिन लोगों ने तामीली से इन्कारी की रिपोर्ट की है,तस्दीक की रिपोर्ट करने वाला सवाराम ,मौका रिपोर्ट बनाने वाला सवाराम वार्डपंच है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.8.2002 निरस्त किया जावे। अपीलांट ने अपील में फहरिस्त के साथ आदेश दि.20.8.2002 आदि की नकले पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. इस अपील का निर्णय दिनांक 7.11.2002को किया गया था जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में हुई जिसके प्रकरण सं. निगरान/टी.ए.संख्या/153/2002 है जिसमें निर्णय दिनांक 20.6.2017 द्वारा इस न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देश दिये हैं कि अभिमत अनुसार समस्त पक्षों की उपस्थिति में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर देते हुए प्रकरण का निस्तारण करे। अतः दिनांक 11.7.17 को यह अपील पुनः दर्ज की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किये व रैकार्ड तलब किया गया।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस दोहराया व अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.8.2002 निरस्त करने का निवेदन किया। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 के वकील ने बताया कि सरपंच, ग्राम पंचायत नारणावास,पं.स.जालोर द्वारा आदेश दिनांक 20.8.2002 सही पारित किया गया है ,अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

19/5/18
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत नारणावास द्वारा नोटिस दिनांक 5.8.02 जारी करने पर अप्रार्थी प्रहलादसिंह पुत्र रामसिंह, रावणा राजपूत, निवासी नारणावास ने दिनांक 8.8.02 को लेने से ईन्कार कर दिया जिससे आबाद मकान पर चस्पा दिया गया।

ग्राम पंचायत नारणावास द्वारा दिनांक 12.8.02 को मौका जांच हेतु तीन वार्ड पंचो की समिति बनाई गई, दिनांक 16.8.2002 को कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार महेन्द्रभारती चेला श्री गंगाभारतीजी के जागनाथ मन्दिर के बेरे पर जाने वाला रास्ता मौके पर खातेदार प्रहलादसिंह पुत्र रामाजी निवासी नारणावास खेत खसरा नम्बर 1287 में रास्ता जो रेकर्ड में दर्ज हैं उसे बंद कर दिया है परन्तु यह रास्ता लम्बे समय से. चल रहा था व अन्य काश्तकारों के बेरों पर जाने के लिये यह एक ही मात्र गंवाई रास्ता है।यह रास्ता ग्राम नया नारणावास से जबरसिंह पुत्र केसरसिंह के खेत में से होकर प्रहलादसिंह के खेत के उतरी लोर पर चलता है जिसे जबरसिंह के खेत में से निकलने वाले रास्ते के अन्तिम छोर पर जहां से प्रहलादसिंह का खेत शुरू होता है,वहां से बंद कर दिया है जिसे पूर्ववत् खुलवाया जाना उचित है।प्रहलादसिंह के खेत की माठ–माठ पर यह रास्ता बंद है,आगे मौके पर चालू हैं।पूर्व में जबरसिंह ने जो रास्ता बंद किया था जिसे पंचायत के निर्णयानुसार मौके पर खुलवा दिया है, मात्र प्रहलादसिंह ने ही अपने खेत के उतरी माठ पर रास्ता बंद किया है जिसे पूर्ववत् खुलवाया जाना आवश्यक व उचित है।

संवत् 2057–60 की जमाबंदी अनुसार मौजा नया नारणावास खसरा नम्बर 1287 रकबा 7.58 हेक्टर भूमि प्रहलादसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत की खातेदारी से है।

संवत् 2057–60 की जमाबंदी के अनुसार नया नारणावास के खसरा नम्बर 1378,1379,1380,1381,1382,1384,1385,1421,1422 कुलरकबा 8.46 हेक्टर भूमि गंगाभारती चेला सोमवारभारती कौम स्वामी,निवासी नारणावास (जागनाथजी)की खातेदारी है। मुख्त्यार नामा दिनांक 2.9.2002 द्वारा खातेदार गंगाभारती चेला सोमवारभारती ने उक्त आराजी की देखरेख तथा कानूनी कार्यवाही का अधिकार चेला महेन्द्रभारती को दिया।संवत् 2073–2076 की जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि महेन्द्रभारती चेला गंगाभारती कौम स्वामी,साकिन नया नारणावास (जागनाथजी) खातेदार के नाम दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध नक्शे अनुसार खातेदार गंगाभारती चेला सोमवारभारती के खेतों में पहुंचने का रास्ता खसरा नम्बर 1287 में से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

होकर गुजरता है जो खातेदार अपीलांट–प्रहलादसिंह द्वारा बंद करने से सरपंच ,ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.8.2002 को खुलवाने का आदेश पारित किया है जो सही पारित किया गया है।अतःअपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वारा सरपंच ग्रामपंचायत नारणावास के आदेश दिनांक 20.8.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

19/7/19

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

19/7/19

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर (राज.)